नागरिक चार्टर

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH

NIREH
NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH IN ENVIRONMENTAL HEALTH

राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
भोपाल बाइपास रोड भौरी भोपाल -462030
www.nireh.org nirehbhopal@yahoo.in

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का एक स्थायी संस्थान स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

प्रस्तावना

सिटीजन चार्टर का उद्देश्य सेवा वितरण तंत्र को प्रभावी ढंग से सुधारना और हितधारक केन्द्रित व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए पारदर्शिता को बढ़ाना है। यह संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली गतिविधियों/सेवाओं के सक्रिय स्वैच्छिक प्रकटीकरण की दिशा में एक कदम है।

संस्थान के बारे में

24 जून, 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक संकल्प के पारित होने के बाद, ICMR ने 11 अक्टूबर, 2010 को भोपाल में "पर्यावरणीय स्वास्थ्य में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान" को अपने 31वें स्थायी संस्थान के रूप में स्थापित किया। संस्थान का तात्कालिक लक्ष्य 2/3 दिसंबर 1984 की मध्यरात्रि में हुई भोपाल गैस त्रासदी के उत्तरजीवियों की स्वास्थ्य समस्याओं पर शोध करना था। संस्थान का दीर्घकालिक उद्देश्य क्रॉस-डिसिप्लिनरी अनुसंधान के माध्यम से पर्यावरणीय स्वास्थ्य में उत्कृष्ट संस्थान बनने की है।

लक्ष्यों का विवरण

भारत में पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर एक शीर्ष अनुसंधान संस्थान के रूप में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले और बुनियादी पार-शिक्षण जैव चिकित्सा और नैदानिक अनुसंधान का संचालन करना।

मिशन वक्तव्य

भारत में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में, आईसीएमआर-निरेह उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है:

1. पर्यावरणीय स्वास्थ्य मुद्दों पर जैवचिकित्सा अनुसंधान: बुनियादी, नैदानिक, महामारी विज्ञान और प्रायौगिक अनुसंधान के माध्यम से पर्यावरणीय जोखिम से जुड़े विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों के अंतर्निहित कारणों को समझना और समाधान विकसित करने के लिए ।
2. पर्यावरणीय जोखिम मूल्यांकन और शमन: देश भर में ग्रामीण और शहरी आबादी में विभिन्न कारकों और प्रदूषकों के पर्यावरणीय जोखिम का पर्यावरण निगरानी, जैव-निगरानी और जोखिम मॉडलिंग के माध्यम से आकलन करने के लिए और जोखिम को कम करने और संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने में इंजीनियरिंग की प्रभावकारिता के साथ-साथ नीतिगत हस्तक्षेपों का विकास/सिफारिश और मूल्यांकन करना।
3. (सी) पर्यावरणीय स्वास्थ्य में क्षमता निर्माण: पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एक शिक्षण के रूप में बनाए रखने की दिशा में, पर्यावरणीय स्वास्थ्य में कुशल जनशक्ति का निर्माण करने के लिए कई लघु और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम शुरू करना।

संगठनात्मक चार्ट

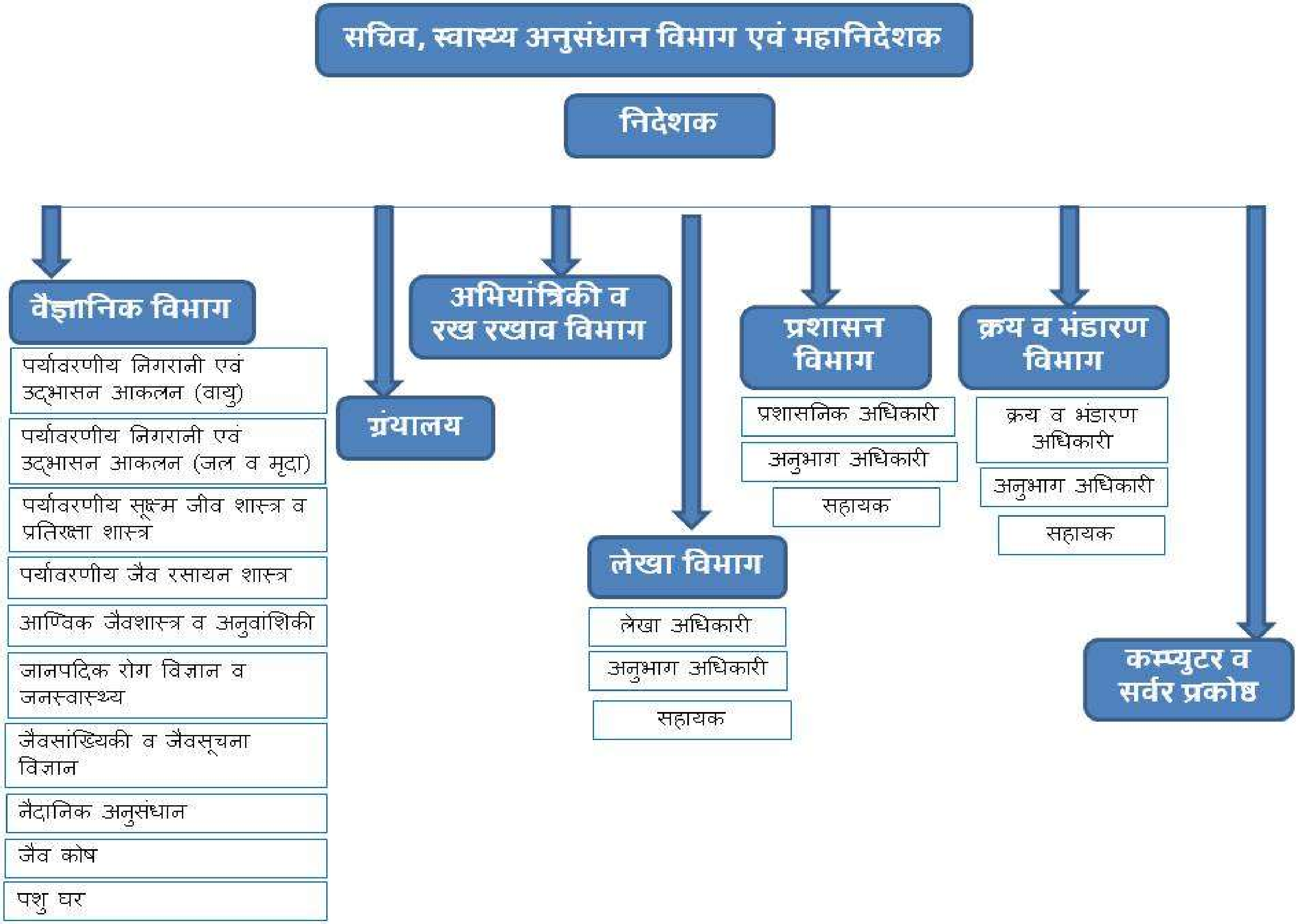
सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग एवं महानिदेशक
निदेशक
वैज्ञानिक विभाग
पर्यावरणीय निगरानी एवं उद्भासन आकलन (वायु)
पर्यावरणीय निगरानी एवं उद्भासन आकलन (जल व मृदा)
पर्यावरणीय सूक्ष्म जीव शास्त्र व प्रतिरक्षा शास्त्र
पर्यावरणीय जैव रसायन शास्त्र
आण्विक जैवशास्त्र व अनुवांशिकी
जानपदिक रोग विज्ञान व जनस्वास्थ्य
जैवसांख्यिकी व जैवसूचना विज्ञान
नैदानिक अनुसंधान
जैव कोष
पशु घर
ग्रंथालय
अभियांत्रिकी व रख रखाव विभाग
लेखा विभाग
लेखा अधिकारी
अनुभाग अधिकारी
सहायक
प्रशासन विभाग
प्रशासनिक अधिकारी
अनुभाग अधिकारी
सहायक
क्रय व भंडारण विभाग
क्रय व भंडारण अधिकारी
अनुभाग अधिकारी
सहायक
कम्प्युटर व सर्वर प्रकोष्ठ

आधारभूत संरचना

संस्थान का नया स्थायी आवासीय परिसर भौरी गांव, भोपाल में है।

- परिष्कृत उपकरण जैसे, रियल टाइम पीसीआर, जीसीएमएस, आईसीपी-ओईएस, फ्लोरेसेंस इनवर्टेड माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग सिस्टम, डीप फ्रीजर मल्टीमोड रीडर, फ्लो साइटोमीटर, सेंट्रीफ्यूगल लाइफोलाइजर, हेमेटोलॉजी एनालाइजर, ऊतक प्रोसेसर, आदि।
- अतिथि गृह
- अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास
- पशु घर
- जैव-भंडार
- सभागार

ICMR-NIREH में शोध में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के अधिकार:

- सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकार।
- दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में गोपनीयता का अधिकार।
- परीक्षा और प्रक्रियाओं के दौरान व्यक्तिगत गरिमा और निजता का अधिकार।
- किसी भी शोध प्रोटोकॉल के शुरू होने से पहले सूचना और सहमति का अधिकार।
- किसी सूचित सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने सभी संदेहों को स्पष्ट करने का अधिकार।
- जैव चिकित्सा और सामाजिक अनुसंधान अध्ययन में भाग लेने या मना करने या सहमत होने का अधिकार।
- वास्तविक शिकायतों के लिए प्रतिनिधित्व करने का अधिकार
- अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और मूल्यों का सम्मान करने का अधिकार
- आपकी देखभाल में शामिल टीम के सदस्य डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के नाम के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार ।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

संस्थान अनुसंधान, प्रशिक्षण और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों/आईआईटी, राष्ट्रीय संस्थान जैसे नीरी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनआईपीएचएम, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय और एम्स के साथ घनिष्ठ नेटवर्किंग बनाए रखता है।

यह नेटवर्क अनुसंधान, पर्यावरणीय स्वास्थ्य के क्षेत्र के कार्यक्रमों में हस्तक्षेप, विश्लेषण और शिक्षण के निष्पादन की सुविधा प्रदान करता है।

पुरस्कार

संस्थान के आरंभ से ही इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं।

कार्य के घंटे

आईसीएमआर / भारत सरकार के नियमानुसार शनिवार/रविवार और भारत सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर संस्थान सप्ताह में 5 दिन कार्यालय समय सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक का पालन करता है।

संस्थागत समीक्षा तंत्र-

समग्र रूप से और व्यक्तिगत स्तर पर संस्थागत प्रदर्शन बोर्ड का मूल्यांकन विभिन्न समितियों द्वारा विशेषज्ञ सलाह और समीक्षात्मक समीक्षा के माध्यम से किया जाता है। शोध की गुणवत्ता में सुधार के लिए फीडबैक को शामिल किया गया है। यह अनिवार्य रूप से है निम्नलिखित समितियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है :

वैज्ञानिक सलाहकार समिति को अनुसंधान गतिविधियों में दिशा प्रदान करने का अधिकार है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं को भी मंजूरी देता है जो संस्थान में किए जाते है।

संस्थागत नैतिकता समिति संस्थान में किए गए अनुसंधान परियोजनाओं में नैतिकता के मुद्दे की सावधानीपूर्वक जांच करके अनुमोदन प्रदान करती है।

भवन सलाहकार समिति भवन संरचना /नए निर्माण पर मार्गदर्शन प्रदान करती है ।

निविदा समिति कार्यालय की उन वस्तुओं को बाहर निकालती है जो उपयोग करने योग्य नहीं है या प्रशासन को नियमों के अनुसार अप्रचलित और अनुपयोगी वस्तु के निपटान के लिए सलाह देती है और यदि कार्यालय के लिए उस विशेष वस्तु की आवश्यकता हो तो उपयुक्त प्रतिस्थापन खरीदने की सलाह देती है।

परिवहन समिति कार्यालय में आधिकारिक उपयोग के लिए और किराए के वाहनों के उपयोग की निगरानी की जिम्मेदार है।

आंतरिक शिकायत समिति संस्थान में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के उत्पीड़न की रिपोर्ट की जांच करने के लिए है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाई है ।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति समिति भुगतान के लिए संस्थान के कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की जांच करती है कि वह सावधानीपूर्वक प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति संस्थान के दैनिक कार्यो में राजभाषा कार्यान्वयन की देखभाल और बढ़ावा देने का कार्य करती है।

वैज्ञानिक निर्णयों को वैज्ञानिक सलाहकार समिति/संस्थागत आचार समिति/वैज्ञानिक समिति एवं विभिन्न वैज्ञानिक विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा पर निदेशक द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। भारत सरकार/डीओपीटी और आईसीएमआर नियमों के अनुसार और विभिन्न संस्थागत समितियों की सिफारिश पर निदेशक द्वारा प्रशासनिक निर्णय लिये जाते है।

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशालय (केंद्रीय व्यय) संस्थान के खाते का लेखा परीक्षा करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संस्थान के सभी खाते और विभिन्न फंडिंग एजेंसियों द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं का ऑडिट किया जाता हैऔर उनकी टिप्पणियों/सुझावों को अनुपालन एवं सुधार के लिए संस्थान द्वारा आवश्यक रूप से नोट किया जाता है। टिप्पणियों के उत्तर/स्पष्टीकरण है आईसीएमआर मुख्यालय के माध्यम से उन्हें भेजा जाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आंतरिक लेखा परीक्षा टीम भी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं उसके संस्थानों का ऑडिट करती है। उनके अवलोकन एवं सुझावों का अनुपालन किया जाता है एवं उन्हे इस संबंध में उन्हे सूचित किया जाता है ।

स्टाफ का मूल्यांकन

संस्थान के विभिन्न प्रभागों में कार्यरत सदस्यों की निगरानी विभाग प्रमुख (एचओडी)द्वारा की जाती है। विभागाध्यक्ष अपने दिन-प्रतिदिन की विभिन्न गतिविधियों के लिए और स्टाफ सदस्यों की

गतिविधियाँ और संलग्नता लिए निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। अधीनस्थों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का विभाग प्रमुख द्वारा समर्थन/मूल्यांकन किया जाता है एवं अंतिम अनुशंसा हेतु निदेशक को प्रस्तुत किया जाता है ।

आईसीएमआर ने वैज्ञानिक संवर्ग (वैज्ञानिक-बी और उससे ऊपर) के लिए मूल्यांकन आईसीएमआर के स्वास्थ्य अनुसंधान वैज्ञानिक संवर्ग (एचआरएससी) नियमों के अनुसार योजना अपनाई है। । मूल्यांकन समिति कार्यो की समीक्षा करती है, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और वैज्ञानिकों की प्रस्तुति और अगले उच्चतर ग्रेड पदोन्नति के लिए उपयुक्त मामलों की सिफारिश करती है

संस्थान के तकनीकी स्टाफ एवं प्रशासनिक स्टाफ हेतु अगले उच्च ग्रेड स्तर पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति विभागीय समिति/मूल्यांकन समितियों का गठन किया गया है।

शिकायत निवारण तंत्र

हितधारकों को परेशानी मुक्त सेवाओं के लिए प्रयास किए जाते हैं। फिर भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि हितधारकों को प्रदान की गई सेवाओं में कमियाँ महसूस हो सकती हैं। कृपया अपनी शिकायत या सुझाव निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक के पास कार्य समय के दौरान व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा दर्ज करने में संकोच न करें। आपके बहुमूल्य सुझावों पर विचार किया जाएगा और उन पर यथाशीघ्र ध्यान दिया जाएगा।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ):
डॉ. एस एस नंदी , वैज्ञानिक-ई
फ़ोन +91-9479787480 (ओ)
ईमेल: s.nandi76@icmr.gov.in

अपीलीय प्राधिकरण:
डॉ. आर. आर. तिवारी, निदेशक
फ़ोन- +91-9479787480 (ओ)
ईमेल:-tiwari.rr@gov.in

सतर्कता अधिकारी:
डॉ. प्रद्युम्न कुमार मिश्रा , वैज्ञानिक-एफ
फ़ोन- +91-9479787480 (ओ)
ई-मेल: pradyumna.mishra@icmr.gov.in

कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के उत्पीड़न पर आंतरिक शिकायत समिति
डॉ. रूमा गलगलेकर वैज्ञानिक-सी एवं अध्यक्ष
फ़ोन- +91-9479787480 (ओ)
ई-मेल: r.galgalekar@icmr.gov.in